BA Part - III

History

By - Dr. Durga Bhawani

Scanned with CamScanner

Date / /
Page

Q. 1935 ई० के भारत सरकार एक्ट की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करें।

Ans:— 1919 ई० के सुधारों से भारत के सभी राजनीतिक दल असंतुष्ट थे। कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण बताया। इस सुधारों का प्रभाव मालूम होने से पूर्व ही रौलेट एक्ट तथा जलियाँवाला बाग के नृशंस हत्या कांड ने भारतीयों को क्षुब्ध कर दिया। उस समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। अतः मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने मिलकर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 1921 ई० का असहयोग आंदोलन चलाया। 1919 ई० के अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले चुनावों में पहले कांग्रेस ने भाग नहीं लिया परन्तु बाद में स्वराज पार्टी ने कौंसिल में प्रवेश पा लिया।

1919 ई० के सुधारों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 1927 ई० में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई किन्तु इस कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए भारत में इसका बहिष्कार किया गया। इस कमीशन ने 1930 ई० में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया इस पर अनेक प्रकार के बहिष्कार आंदोलन शुरु हो गए। लंदन में तीन बार गोलमेज सभाएं हुई। 1932 ई० में ब्रिटिश प्रधान मंत्री मैकडोनल्ड ने अपना प्रसिद्ध साम्प्रदायिक निर्णय दिया। मार्च 1933 ई० में श्वेत-पत्र जारी किया गया तथा 1935 ई० का भारतीय अधिनियम पारित किया गया।

1935 ई० की अधिनियम की विशेषताएँ — 1935 ई० का भारत सरकार अधिनियम लम्बा तथा पेंचीदा था जिसमें 231 धाराएँ और 16 सूचियाँ थी। इस अधिनियम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

1) प्रस्तावना का अभाव — 1935 ई० के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी, इस संबंध में जब भारतीयों द्वारा आलोचना की गई तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ दिया गया। 1919 ई० के एक्ट

की प्रस्तावना में पूर्ण स्वराज्य या औपनिवेशिक स्वराज्य का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था और ना ही राष्ट्रीय भावना का कोई सम्मान ही रखा गया।

2) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता — 1935 ई० के अधिनियम में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च थी और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। अतः इस अधिनियम में किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन लाने का अधिकार केवल संसद को था। भारतीय प्रशासन तंत्र पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण काफी बढ़ गया। प्रांतीय अथवा केन्द्रीय विधान मंडलों के द्वारा केवल संशोधन के सम्बन्ध में सिफारिश की जा सकती थी।

3) भारतीय परिषद् की समाप्ति — लन्दन स्थित भारतीय परिषद् को 1935 ई० के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया और भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए कुछ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। इसकी संख्या कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा छः रखी गई। परामर्शदाताओं की राय स्वीकार करना भारत मंत्री के लिए आवश्यक नहीं था लेकिन सेवाओं के सम्बन्ध के उनकी राय मानना आवश्यक था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन से संबंधित विषयों में भारत-सचिव का अधिकार घट गया किन्तु गवर्नर-जनरल के स्वविवेक संबंधी अधिकार पर भारत ~~सचिव का~~ सचिव का नियंत्रण यथावत बना रहा।

4) केन्द्र में द्वैध शासन — द्वैध शासन केन्द्र में असफल साबित हो चुका था परन्तु 1935 ई० की अधिनियम द्वारा केन्द्र में पुनः द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। आरक्षित विषयों पर गवर्नर-जनरल तथा उसकी कार्यपालिका का नियंत्रण था जो स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग कर सकता था और हस्तांतरित विषयों का दायित्व मंत्रियों को सौंप गया जो व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों में केन्द्रीय व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था फिर भी हस्तान्तरित विषयों पर उसका नियंत्रण था। द्वैध शासन की व्यवस्था के कारण केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो सकी।

Scanned with CamScanner

5) — आरक्षण एवं संरक्षण — 1935 ई० के अधिनियम में अनेक आरक्षण एवं संरक्षण की व्यवस्था थी। इस अधिनियम की विशेषता यही थी कि इसमें संरक्षण तथा आरक्षणों का प्रावधान था। इसके अनुसार गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए गए थे। यह धारा इसलिए रखी गई थी ताकि केन्द्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों पर नियंत्रण रखकर उत्तरदायी सरकार पर अंकुश रखा जाए। आलोचकों ने इस धारा का विरोध किया। इनका कहना था कि — संरक्षात्मक धाराएं देश की एकता के विरुद्ध हैं।

6) — विधान मण्डलों और मताधिकार का विस्तार — नए अधिनियम के अंतर्गत विधान मंडलों की सदस्य-संख्या तथा मताधिकार में वृद्धि की गई। केन्द्र में संघीय विधान सभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 375 तथा संघीय राज्य परिषद् की सदस्य संख्या 260 कर दी गई। प्रांतीय विधान सभाओं की सदस्य संख्या दो गुना अधिक बढ़ा दी गई। 11 प्रान्तों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधान मंडल की व्यवस्था कर दी गई।

मताधिकार भी विस्तृत कर दिया गया और प्रांतों में 10% जनता को मताधिकार दिया गया। साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी विस्तृत कर दिया जो राष्ट्र के लिए घातक थी तथा केन्द्रीय विधान मंडल के निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली की व्यवस्था भी कम घातक नहीं थी।

7) — अखिल भारतीय संघ की स्थापना — 1935 ई० के एक्ट में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था इसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल कर अनिवार्य था वहीं देशी राज्यों को शामिल करना वैकल्पिक था। भारती संघ में शामिल होने वाले देशी राज्यों को पहले एक प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था, इस प्रवेश पत्र में अनेक शर्तें थीं। संघ तथा राज्य के बीच उत्पन्न विवादों में फैसला देने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना

की गई थी किन्तु इसके निर्णय के विरुद्ध इंगलैण्ड स्थित प्रीवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी। इस प्रकार प्रस्तावित भारतीय संघ की योजना कागज तक ही सीमित रह गई थी।

8) **विषयों का विभाजन** — केन्द्र और प्रांतों के बीच विषयों की तीन सूचियों बनायी गयी थी —

A) **संघीय सूची** — इस सूची में 59 विषयों का उल्लेख था जो राष्ट्रीय एवं साधारण हितों से सम्बन्धित था। जैसे — सशस्त्र सेनाएँ, मुद्रा एवं नोट, डाक-तार, रेल, केन्द्रीय सेवाएँ, विदेश विभाग, वायरलेस, रेडियो आदि विषयों के संबंध में केवल केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा ही कानून बनाया जा सकता था।

B) **प्रांतीय सूची** — प्रांत एवं स्थानीय विषयों को प्रांतीय सूचि में शामिल किया गया था। इसमें शिक्षा, भू-राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहर, जंगल, खान, प्रांतीय व्यापार एवं उद्योग-धंधे आदि शामिल थे। इन विषयों में के संबंध में प्रांतीय विधान मण्डल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय विषयों की कुल संख्या 54 थी।

C) **समवर्ती सूची** — इस सूची में 36 विषयों को रखा गया था, जैसे — केन्द्र एवं प्रांत, दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। यदि केन्द्र और प्रांत द्वारा बनाए गए किसी कानून में विरोध उत्पन्न हो जाता था तो केन्द्र द्वारा निर्मित कानून को ही मान्यता दी जाती थी। इस सूची में दण्ड-विधान, दीवानी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के नियम आदि थे।

इन सब के अतिरिक्त अवशिष्ट-शक्तियों को गवर्नर-जनरल के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था। गवर्नर-जनरल केन्द्र या प्रांतों को अवशिष्ट-शक्तियों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार दे सकता था।

9) **संघीय न्यायालय** — 1935 ई० के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान था।

Scanned with CamScanner

जो केन्द्र या प्रांतों या देशी राज्यों के बीच उठने वाले विवादों के ~~बीच~~ संबंध में निर्णय देता। इसे आरंभिक एवं अपील दोनों प्रकार की शक्तियाँ दी गई थीं। फिर भी, संघीय न्यायालय भारत का अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउन्सिल में अपील की जा सकती थी।

10) — बर्मा, बरार और अदन — नए नियम में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1937 ई० को अदन को ब्रिटेन के उपनिवेश विभाग के अधीन कर दिया गया तथा बरार पर हैदराबाद के निजाम की सत्ता नाममात्र के लिए स्वीकार की गई और उसे मध्य प्रांत के प्रशासन विभाग के अधीन रखा गया। इस प्रकार मध्य प्रांत और बरार एक गवर्नर का प्रान्त हो गया।

1935 ई० के अधिनियम में भारत की राजनीतिक एकता की ~~कामना~~ कामना की गयी थी। यह अधिनियम पिछले सभी अधिनियमों की तुलना में अधिक सुधारवादी और प्रगतिशील था।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंगलैंड की सरकार ने अविश्वास के साथ नए अधिनियम को पारित किया था। राजनीतिक चेतना को शांत करना ही उसका लक्ष्य था। परिस्थिति की विषमता और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण ही भारत को स्वायत्त बनाने का निर्णय ब्रिटिश सरकार को लेना पड़ा।

—X—

Scanned with CamScanner